28/11/07

48

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

W.P. (S) No. 6946 of 2007

PETITIONER		R.K.Tiwari, aged about 45 years, s/o late Shri N.K.Tiwari, occupation Service Sub-Engineer (under suspension) office of the Executive Engineer, Hasdeo Barrage, Water Management, Division, Rampur, Korba (C.G) – Presently attached to the Office of Chief Engineer, Hasdeo Basin Water Resources, Department, Bilaspur) R/o Qtr.No.H-7B, Irrigation Colony, Darri, Korba, Distt. Korba (C.G).
		Versus
RESPONDENTS	1	State of Chhattisgarh, Through Secretary, Department of Water Resources, D.K.S. Bhawan, Raipur (C.G.)
	2	Engineer-in-Chief, Department of Water Resources, Raipur (C.G.)
	3.	Chief Engineer, Water Resources Department, Hasdeo Basin, Bilaspur, Distt. Bilaspur (C.G.)
	4.	Executive Engineer, Water Resources Department, Hasdeo Barrage, Water Management Division, Rampur, Distt.Korba (C.G.)

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Appearance:

Shri P.S. Koshy, Counsel for the petitioner.

Shri A.S. Kachhawaha, Govt.Advocate, for the State/ respondents on advance copy.

ORAL ORDER
(26.11.2007)

SUNIL KUMAR SINHA, J

Heard on admission.

The petitioner, who is a Sub-Engineer (under suspension), has challenged the charge sheet dated 05.11.2007 issued to him by the competent authority making following allegations:-

आरोप कं.1

1-0 आपने जुलाई 06 से मई 07 के मध्य ऐसे संधारण एवं रखरखाव के कार्य,जो कार्य विभाग नियमावलि भाग एक के

नियम 2.075 (बी) के तहत निविदा आमंत्रित कर ठेकों पर कराए जाना आवश्यक थे, को रू. 5000/– के अंतर्गत टुकड़ों में विभक्त कर अनियमिति तरीके से निश्चित की गई दरों पर अनुविभागीय अधिकारी से मिलकर स्थानीय फर्मो को आदेश जारी कर कराऐ । इन आदेशों के तहत कुल रू. 42. 44 लाख के कार्य बता कर व्यय किया । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के साथ मिल कर अनियमित पद्धति से कार्य कराने के लिए आप जिम्मेदार है । निविदा आमंत्रित कर प्रतिस्पर्धात्मक न्यूनतम दरों की निविदा के माध्यम से कार्य कराने पर प्रचलित निविदा दरों के अनुसार कम दरो पर कार्य करा कर लाखों रूपयों की बचत की जा सकती थी । इस प्रकार आपने अनियमित पद्धति से कार्य कराने में सहयोग कर शासन को वित्तीय हानि पहुचाई है, जिसका विस्तृत उल्लेख अभिकथन पत्र में किया गया है ।

1-1 बैराज के डूबान क्षेत्र में से फलाई एश हटाने के लिए रू. 28. 30 लाख की तकनीकि स्वीकृति लेखा शीर्ष 23/2700 आयोजनेत्तर के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता द्वारा जारी की गई थी । इसके अतिरिक्त पूर्व में स्वीकृत तकनीकि स्वीकृति की राशि का पूर्ण उपयोग किए बिना इसी कार्य हेतु 29.50 लाख रूपये की तकनीकि स्वीकृति लेखा शीर्ष 23/4700 आयोजना के अंतर्गत पुनः दी गई थी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी कार्याबंटन के अनुसार आपको डूबान क्षेत्र का कार्य आबंटित नही था, परन्तु आपने डूबान क्षेत्र से फलाई एश हटाने का कार्य अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जा कर किया । आपके द्वारा इस कार्य में रू. 10.48 लाख का भुगतान लेखा शीर्ष 23/4700 आयोजना के अंतर्गत कर दिया गया । जबकि ऐसे कार्य पर व्यय संबंधित संस्थाओं जिनके कारण फलाई एश का जमाव डूबान क्षेत्र में हुआ, उनसे राशि प्राप्त कर डिपाजिट मद में उच्चाधिकारियों की अनुमति/स्वीकृति प्राप्त कर किया जाना था और इस प्रकार प्राप्त की गई फलाई एश का सकारात्मक उपयोग करना था, किंतु एन0टी0पी0सी0 से कोल वेस्ट लाकर नहर के सर्विस

रोड में बिछाने पर रू. 1.55 लाख का व्यय किया । इस तरह आपने इस कार्य में अनावश्यक व्यय कर शासन को रू. 12.03 लाख की हानि पहुंचाई ।

1-2 वरिष्ठ उप अभियंता के रूप में कार्य करते हुए आपका यह कर्तव्य बनता था कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारी से कण्डिका 1.1 में उल्लेखित कार्यो को नियमानुसार नहीं होने बाबत संसूचित करते एवं फिर भी निर्देश दिये जाने पर उनसे वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में लाए जाने की आपकी जिम्मेदारी बनती थी । परंतु आपने ऐसा नहीं करते हुए उक्त अनियमितता में सहयोग प्रदान किया ।

1-3 आपके द्वारा विभिन्न फर्मो को 571 सप्लाई आदेश के द्वारा किये गये कार्यो के बिलों के माप दर्ज कर भुगतान किया गया, जबकि उक्त बिलों के प्रदाय आदेशों में 27 आदेश छोड़कर शेष प्रदाय आदेश के कमांक एवं दिनांक उप संभागीय जावक पंजी में दर्ज नहीं है । इस प्रकार आपने मनगढंत प्रदाय आदेश के कमांक दर्ज कर और उसको आधार बनाकर बिलों के माप दर्ज कर भुगतान कियें । इस तरह अनाधिकृत रूप से जारी प्रदाय आदेशों के विरूद्ध प्राप्त बिलों के भुगतान करने में आपकी अहम भूमिका रही ।

<u>आरोप कं0–2</u>

आपने अपने अनुविभागीय अधिकारी से मिलकर हस्तपावती एवं इंप्रेस्ट के माध्यम से अनियंत्रित एवं अनियमित तरीके से सामग्री का कय एवं संधारण के कार्यो में व्यय कर रू. 1.16 लाख का भुगतान प्राप्त किया । इन भुगतानों में रूपये 500 से लेकर रू. 2500 तक नगद के भुगतान किये गये हैं, जबकि कार्य विभाग नियमावली भाग–एक के नियम 4.067 के अनुसार नगद भुगतान हेतु निर्धारित सीमा केवल रू. 100 मात्र ही है । यह सीमा वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 (कार्य विभागों की सूची) के स.कं. 87 के अनुसार 500 रू. तक कार्यपालन अभियंता की तथा रू. 2500 तक अधीक्षण अभियंता की अनुमति से ही की जा सकती थी । आपने इस तरह नियमों में दी गई सीमा से अधिक का नगद भुगतान किया

। हस्त पावती एवं इम्परेस्ट के माध्यम से ऐसे सामान एवं कार्यो का भुगतान भी किया जाना पाया गया जो ठेकों पर अनुबंध करा कर किये जाने थे । ठेका पद्धति से कार्य कराने पर ठेकेदारों से करों की श्रोत पर वसूली की जाती एवं राजस्व की प्राप्ति होती । इस प्रकार आपने नियमों के विरूद्ध कार्य करके शासन को राजस्व की हानि कराने में सहयोग किया जिसका वर्णन अभिकथन पत्र में दिया गया है ।

Learned counsel for the petitioner argues that factually the charges are not correct. He also argues that there are no specific charges against the petitioner and it is only said in the charges that the petitioner was also indulged with the other authorities of the department for the alleged misconduct committed by them. He also argues that the charges were not issued to the petitioner within the stipulated period granted under rule 9 of M.P (C.G) Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1966. For such challenge made by the petitioner, reliance has been placed on a decision of the Apex Court in the matter of ***Union of India and others –vs- Upendra Singh (1994) 3 SCC 357.***

I have heard learned counsel for the petitioner at length and have also gone through the documents filed alongwith Writ Petition.

In this case, as it appears from the documents, the petitioner was suspended on 14.8.2007 and the charge sheet was issued by the Government to him on 05.11.2007. Therefore, the charge sheet has been issued in time and no challenge can be made on this ground. As far as the grounds pertaining to the allegations in the charges are concerned those grounds are based on factual aspeets of the matter and that cannot be enquired into by a writ court, which is absolutely a duty of the enquiring authority or the competent authority in this regard.

In the matter of *Upendra Singh (supra),* the Apex Court has also held vide para 6 that in the case of charges framed in a disciplinary inquiry the tribunal or court can interfere only if on the charges framed (read with imputation or particulars of the charges, if any) no misconduct or other irregularity alleged can

be said to have been made out or the charges framed are contrary to any law. At this stage, the tribunal has no jurisdiction to go into the correctness or truth of the charges. The tribunal cannot takeover the functions of the disciplinary authority. The truth or otherwise of the charges is a matter for the disciplinary authority to go into. Indeed, even after the conclusion of the disciplinary proceedings, if the matter comes to court or tribunal, they have no jurisdiction to look into the truth of the charges or into the correctness of the findings recorded by the disciplinary authority or the appellate authority as the case may be.

Admittedly, as stated above, the factual aspects of the matter are involved in this case and this Court cannot go into the merits of the charges framed against the petitioner, at this stage, particularly with reference to their correctness etc.

For the foregoing discussion, I do not find any reason to interfere with the charge sheet served upon the petitioner, at this stage.

The petition deserves to be and is accordingly dismissed at the motion stage itself.

Sd/-
Sunil Kumar Sinha
Judge

/Rao/